[श्री कल्पनाथ राय]

बनाना चाहिए और उसके अनुकूल ही हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से भारत की जनता को और गांवों को सीमेंट सप्लाई करें। श्रीमन्, आप भी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी गांव का रहने वाला हूं। हमारे सात लाख गांव हैं और इन गांवों में मिट्टी के मकान बनाना बहुत मंहगा पड़ रहा है। इसलिए गांव में अब मकान में सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, मुझे गांव में जाने का मौका मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में जहां मकान खड़े कर रहे हैं वहां पर सीमेंट नहीं मिल रहा है। ईंटों के दाम इस समय 250 रुपये प्रति हजार हो गए हैं। जितना खर्च मिट्टी का काम करने पर आता है उतना खर्च सीमेंट द्वारा निर्माण करने पर आता है। मजदूर नहीं मिलते हैं। अब फैशन बदल गया है। ऐसी हालत में आज सीमेंट सब से जरूरी जरूरियात देश की जनता के सामने है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा, मुझे इस की जानकारी है, सरकार

1 P.M. पूछेगी तो बतलाऊंगा कि हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर में सीमेंट इंडस्ट्री है उसका जो कैपेसिटी यूटिलाईजेशन है, उसका पूरा यूटिलाईजेशन नहीं हो पा रहा है और जब ये पूंजीपति या कैपिटलिस्ट देखते हैं कि सरकार भी इम्पोर्ट कर रही है सीमेंट तो अपनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी के अनुकूल प्रोडक्शन न करके उसको कम करते हैं और ज्यादा मात्रा में ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में मुल्क के इस मामले को मद्देनजर रखते हुए हमें जब समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो हमें सीमेंट इंडस्ट्री को एज ए होल कन्ट्री के पैमाने पर नेशनलाईज्ड करना चाहिए तभी हम अपनी कार सेक्टर इकानामी को बिल्ड अप कर पायेंगे और मुल्क की करोड़ों करोड़ जनता की जरूरियात को पूरा कर पायेंगे...।

श्री उपसभापति। आप अपना भाषण जारी रखियेगा, दो बजे हम फिर बैठेंगे। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after . lunch at three minutes past two of the clock—^The Vice-Chairnoan (Shri Dinesh Goswami) in the Chair.

RE: CALLING-ATTENTION MOTION

ITiE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Before we take up the normal business, I have to state some thing. We have to take up the Calling-Attention Motion at 2-30 today. But it appears 'i;hat in the Lok Sabha the debate is p;oing on still and the secon i speaker is speaking and the deba'i(3 may not conclude before 2-30. P.M. So, our House will take it up only when the debate is over there which is likely to be at 3-30 P.M. or so. The moment he in free there, the Finance Minister wil' come here and we will take up the Calling-Attention Motion.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DALMIA DJVDRI CEMENT LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) . ORDI-.NANCE, 1981 mo. 6 OF 1981) PROMULGATED ON THE 23RD JUNE 1981,—(CONTD.)

II. THE DALBTIA BADRI CE MENT LIMITED (ACQUISI TION ANDTRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1981—(CONTD)

THE VICE CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, we start with the discussion on the Statutory Resolution. Mr. Kalp-

nath Rai. I think you were speaking on this and you have to continue your speech.

AN HON. MEMBER: Only on the Resolution? Not on the Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): B-th are there. But we would like lo hear him for once on the G-itutory Resolution. Yes, Mr. Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय : मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्राइवेट सैक्टर में सीमेंट के कारखाने हैं, उनमें केपेसिटी यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पूरी स्टडी कराएं कि क्यों जब सीमेंन्ट का अभाव है तो प्राइवेट सैक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं, वे केपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर रही हैं। मेरी साफ मांग है कि यदि हम सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं तो हमें यह प्राइवेट सैक्टर की सभी सीमेंट इंडस्ट्रीज को, जो कोह सैक्टर में आती हैं, उनको नेशनलाइज करना चाहिए और जो एक सिद्धान्त है कम्पेनसेशन का, मेरी साफ मान्यता है कि जब हमने एक समाजवादी समाज की रचना का संकल्प लिया है तो किसी भी प्रकार का कम्पेनसेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राइवेट सैक्टर में पूंजीपतियों से बहुत ज्यादा मुनाफा अपने यूनिट में किया है और एक-एक यूनिट से उन्होंने पचास-पचास यूनिट्स खड़ी की हैं।

इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम एक नया देश और एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं उस का आर्थिक निर्माण करना चाहते हैं, आधुनिक देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उस आधुनिक देश का निर्माण करने के लिये और एक शक्तिशाली भारत के सपने को साकार करने के लिये और एक समाजवादी भारत को बनाने के लिये ऐसे कदम उठाने होंगे जो लोक हित में और जनहित में हो। मंत्री महोदय से मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो भी सिक इंडस्ट्रीज नेशनलाइज होती हैं उन में जो भी लेबर हो उन को पुनः इंप्लायमेंट दिया जाना चाहिए। अगर कोई लेबर बूढ़ा हो गया हो तो उस के लड़के को इंप्लायमेंट मिलना चाहिए क्योंकि लेबर क्लास के बल पर ही हम इस देश में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मुझे भी दो एक फैक्टरियों में काम करने का मौका मिला है मजदूरों की तरफ से और मैं जानता हूं कि मजदूर कभी गलती नहीं करता। मजदूरों से जबरदस्ती हड़ताल करायी जाती है और इस लिये मैं अपने विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति को मद्दे नजर रखें आज हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश में हड़ताल कराना राष्ट्रद्रोह है या यहां लाकआउट कराना जनघाती और राष्ट्र घाती बात है। जापान में भी इंडस्ट्रीज चलती है और जापान दुनिया के औद्योगिक मैप पर दुनिया का सब से बड़ा और शक्तिशाली देश होने के नाते उभर कर आ रहा है लेकिन जापान में मजदूर विरोध होने पर काली पट्टी बांध कर काम करते हैं और उस विरोध के रहते हुए भी वहां मजदूरों में और सरकार में और मजदूरों में और कारखाने के मालिकों में समझौते होते हैं लेकिन वहां मजदूर प्रोडक्शन कभी कम नहीं होने देते। यह जिम्मेदारी मजदूरों की भी है। मैं विशेष रूप से अपने मुल्क के लिये कहना चाहूंगा कि यहां की परिस्थितियों के अनुकूल ही किसी भी पार्टी के निश्चय होने चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश या एशिया और अफ्रीका के जैसे विकासशील देशों की जो समस्यायें हैं जिन से वे जूझ रहे हैं जिन के सामने कम उत्पादन होने का संकट है उन की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हड़ताल एक राष्ट्रघाती और जनघाती कदम है। मैं विशेष रूप से निवेदन करना

[श्री कल्पनाथ राय]

चाहूंगा कि वे जहां मजदूरों को संगठित करें वहां मैं चाहता हूं कि उन को बराबर प्रोडक्शन मिलना चाहिए और बराबर उनको सुविधायें बढ़नी चाहिए । जब हम ने मैनेजमेंट में उन को हिस्सेदारी के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और जब हम ने बोस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मजदूरों को हिस्सेदारी के सिद्धान्त को मैनेजमेंट में स्वीकार कर लिया है तो मैं चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को हर जगह लागू किया जाये साझेदारी के सिद्धान्त को सभी पार्टियों के लोग लागू होने में मदद करें और जो उन के वेलफेयर के कदम हैं उन में, उन को लागू होने में मदद करें। लेकिन जिन कार्यों से उत्पादन घटता है उन को हमें नहीं करना चाहिए ।

और तीसरा निवेदन मुझे मंत्री महोदय से यह करना है कि इस मुल्क में बेकारी का संकट है। इस मुल्क में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मुल्क ने बड़ी तरक्की की है और एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के अंदर हिन्दुस्तान ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है और राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की की है लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने हमारी इस तरक्की के शिशु को दबोच लिया है । हमारी बढ़ती हुई जन संख्या के काले बादलों ने तरक्की के सूरज को ढक लिया है। तो एक तरफ हमें जन संख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय मतैक्य को स्थापित करना होगा और दूसरी तरफ देश में जो बेकारी की समस्या बढ़ रही है उस की तरफ ध्यान देना होगा। आज पढ़े लिखे बेकार एम ए और बी ए पास कर के स्किल्ड लेबर स्किल्ड बेकार जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग ली है आई टी आई की ट्रेनिंग ली है करोड़ों की संख्या में बेकार घूम रहे हैं और उन को काम देने के लिये हम को देश में सैकड़ों हजारों की तादाद में सीमेंन्ट फैक्टरियां खोलनी पड़ेंगी । वे खोली जा सकती हैं। मिर्जापुर से रोहतास और भोजपुर के बीच में इतना ज्यादा लाइम स्टोन का डिपाजिट है कि वहां सैकड़ों सीमेंट के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं और लाखों लोगों को काम दिया जा सकता है। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी अभी मिर्जापुर के कचराहाट में एक सीमेंट का कारखाना खोलने, उस का उद्घाटन करने गयीं थीं। जो लाइम स्टोन का डिपाजिट मिर्जापुर और रोहतास के बीच में मिला है वह इतना ज्यादा है कि सकड़ों सीमेंट के कारखाने हिन्दुस्तान में उस के बल पर स्थापित हो सकते हैं और हिन्दुस्तान की श्रम शक्ति का उपयोग उनमें हो सकता है । इसलिए मैं इस अधिग्रहण का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी कीमत पर मजदूरों के हितों को ठेस न पहुंचे । इस मुल्क के पूंजीपति, इस मुल्क के नौकरशाह इस बात को समझें कि इस देश का उत्पादन मजदूरों की ताकत से बढ़ सकता है । बिना मजदूरों की ताकत के न हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, न उत्पादन बढ़ा सकते हैं, न अपने कारखानों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इसलिए मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार यह अधिग्रहण करे । इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कहा जाता है कि—देर आयद दुरुस्त आयद। उस हिसाब से जो कुछ भी ये लोग लाये हैं डालमिया दादरी सीमेंट के राष्ट्रीय करण के लिए, उसका हम स्वागत करते हैं।

श्रीमन, आपको शायद याद होगा, इसी सदन में इसको टेक ओवर करने के लिए लोगों ने ही आवाज उठाई थी । उन उठाने वालों में जो एक तो मैं था दूसरे जो आज मंत्री बने हुए हैं, श्री ए० पी० शर्मा, वह थे । आप

रेकार्ड उठाकर देख लोजिए जा। हम लोगों ने मांग की कि डालमिया सोमेंट को तुरत ले लिया जाए। इसमें मिस-मनेजमेंट हो रहा है। जनता सरकार रही नहीं, नहीं तो पहले ही सरकार ले लेती। लेकिन इस सरकार ने इसको लिया है, यह अच्छा काम किया है।

लेकिन सवाल यह है कि यह पोस-मील अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं। ठीक ही है, आपने कहा कि सारे प्राइवेट सक्टर में सोमेंट उद्योग है। तो उसको आप क्यों नहीं लेते हैं। जब बिलकुल मृतक हो जाएगा, डैड हो जाएगा तब उस लाश को उठाने के लिए आप जायेंगे? आप ने खुद अपने इंट्रोडक्ट्री भाषण में कहा है--शार्टेज आफ सोमेंट इन दि कंट्री है तो फिर उसकी पूर्ति कैसे होगी। यह जो निजी क्षेत्र वाले हैं वह पूर्ति करते नहीं हैं। ये अपने उद्योगों को डुबाने के लिए उनको खुराक नहीं देते हैं। नतीजा यह है कि आप गऊशाला बन गये हैं। आज जितना डूबी उद्योग है, वह आपको लेना पड़ता है। इसलिए आप साफ़ करें कि क्यों सरकार सारे प्राइवेट सेक्टर के उद्योग को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है जबकि सारा समाज और देश इसकी मांग कर रहा हैं और उधर से भी आवाज़ उठ रही है।

दूसरी बात यह है कि जब आप लेते हैं तो इसमें इतने पैसे क्यों देते हैं। 1975 में क्लोज हो गया, फिर आपने दिया और जब रिपोर्ट यह है कि इसको बगैर लिये काम नहीं चल सकता है। तो फिर कंपेसेशन देने की बात कहां से आ जाती है? क्या कोई अंदरूनी सांठ-गांठ है कि तुमको इतना देंगे? क्यों कंपेसेशन की बात आप सोचते हैं। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ले जायेंगे और झमेला खड़ा हो जाएगा जैसे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुआ था। तो टोकन के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन आप जो दे रहे है 84 लाख 87 हजार रुपये यह बिलकुल निराधार है और जनता के पैसे को स्क्वेंडर कर रहे हैं, बेकार बरबाद कर रहे हैं। टोकन के रूप में ही देना है तो 84 रु० 87 पैसे दे दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक दीजिए लेकिन इतनी बड़ी रकम देने का क्या औचित्य है, मैं यह भी जानना चाहता हूं

तीसरी बात यह है कि आप इसको ले रहे हैं और हमने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो 1600 आदमी या 20 सौ मजदूर रिट्रैंच हुए हैं, आप सदन को आश्वासन दें कि आपने दखलअंदाजी जब शुरु की उसके कबूल से जितने लोग रिट्रैंच हुए हैं सब को वापस लिया जाएगा, सब को फिर से बहाल किया जाएगा और उनके जितने बकाया हैं आपके पास, जैसे ग्रैच्युइटी के रूप में या जिस रूप में भी हों उन सब का पेमेंट होगा। वह बातें इसमें साफ नहीं हैं। तब हम आपकी नेक नीयती समझ सकते हैं कि आप 1600 या दो हजार जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी आपके दिल में हमदर्दी है। लेकिन इसमें प्रावधान नही है। चौथी बात यह है कि टेकओवर करने की आपकी आम बीमारी हो गई है। कल भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बात आई थी। यह बीमारी आप घसीटते जा रहे हैं। मैनेजमेंट में कोई बुनियादी परिवर्तन आप करना नहीं चाहते। जो डायरेक्टर, कमिशनर हैं, बोर्ड आफ मैनेजमेंट में हैं 1600, 2000 के करीब मजदूर काम करते हैं उनके पार्टीसिपेशन की बात आप क्यों नहीं सोचते हैं। यह आपके लिये अच्छा मौका है जब आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उद्योगों के संचालन में मजदूरों का हाथ हो इस बारे में कुछ भी इसमें नहीं है अगर आप ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में देंगे तो फिर वही होगा जो अब होता है। आप देख रहे हैं कि रेल के संचालन में गड़बड़ हो रही है। रोज एक्सीडेंट होते हैं। तीन मूर्तियां बैठी हुई हैं उत्तरी बिहार की। थेथर हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेल पब्लिक सेक्टर में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है लेकिन उसकी दुर्दशा हो रही है। आप चाहे यहां रहें या वहां रहें आपको इसकी दुर्दशा सुधारनी चाहिये। आपका पब्लिक

[श्री शिव चन्द्र झा]

सेक्टर काम नहीं करता है। यह बात सही है कि उसमें खराबियां हैं लेकिन उन खराबियों को आपको दूर करना है । जो राजपथ है, अशोक मार्ग है उस तक, जो आपका हाई वे है उसके जरिये आपको पहुंचना है । उधर से नौजवान ने भी इस तरफ इशारा किया । खून उसका ठंडा नहीं हुआ है कभी-कभी खूब उबलता है । वह नया समाज बनाना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में आप मत जाइये उस से आप बरबाद हो जायेंगे । आप का रेलवे बोर्ड आज एक वाइट एलीफेंट है । वे ही यह दुर्दशा लाये हैं । जितनी सिक यूनिट्स हैं उनको भी आपको देखना चाहिये । कल जूट की बात उठी थी । जूट मंत्री यहां नहीं हैं । कठिहार के एन० के० चमारियन भी ऐसे दे रहे हैं । वहां मजदूर वर्ग कह रहा है कि एन० के० चमारियन के जूट मिल को ले लिया जाए लेकिन नहीं लिया जा रहा है । आपकी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है उसको आपको फिर से रिवाइज करना चाहिये । आपने तो साल ठोक कर इंडस्ट्रियल पालिसी यहां रखी थी । याद होगा कि आपने स्टेटमेंट दी थी और हम लोगों ने यहां यह बात कही थी कि आपने कोई नई चीज नहीं की है । 48 की पालिसी, 56 की पालिसी जो है उसी पर आपने रखा है । बड़ा बुनियादी फर्क नहीं है । पब्लिक सेक्टर में जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं उनकी हालत को आप सुधारिये । टेकओवर आप करते हैं हमें कोई एतराज नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन उनमें सुधार लाइये । लेकिन कम्पनसेशन की बात आप छोड़ दें और वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात आप रखें । जितनी उनकी मांगें हैं, उनके क्लेम हैं, वह सब आप उनको दें । अगर आप ऐसा करेंगे तो तब हम समझेंगे कि कुछ ख्याल आपको इनका है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का अर्ध-समर्थन करता हूं ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, कल भी सदन में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में विचार सम्माननीय सदस्यों ने रखे और आज फिर दादरी सीमेंट लिमिटेड विधेयक का फिर वही प्रश्न सदन के सामने है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई समुचित नीति बनाई नहीं है । उद्योग बीमार होते रहते हैं और सरकार उनकी बार बार मदद करके आखिर में उसको अपने हाथ में ले लेती है । यह स्थिति क्यों बनती जा रही है और एक के बाद एक बीमार उद्योग सरकार अपने हाथ में ले लेती है । पहले वह उन उद्योगों की मदद करती जाती है और आखिर में स्थिति यह बनती है कि करोड़ों-अरबों रुपया देश का एक तरह से पानी में डूब जाता है । 13.50 सौ करोड़ रुपया हिन्दुस्तान की गरीब जनता का बीमार उद्योगों में सरकार ने लगाकर रखा है । इसलिये सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए । मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में विचार करे और जो उद्योगपति अपनी किसी उद्योग इकाई को बीमार बना लेता है और ऐसे उद्योगपतियों के पास कोई अगर दूसरी उद्योग इकाई है तो लाभ वाली उद्योग इकाई भी सरकार बीमार इकाई के साथ-साथ अपने हाथ में ले । अगर सरकार ने यह नीति अपनाई तो मैं समझता हूं कि उद्योगपतियों को, इकाइयों को, उद्योगों को, बीमार करने की प्रवृत्ति पर सरकार रोक लगा पायेगी । इन बीमार इकाइयों, इन बीमार उद्योगों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिये मेरा आग्रह है कि सरकार इस पर गम्भीरता के साथ विचार करे । ये इकाइयां इसलिये बीमार होती हैं क्योंकि उद्योगपति इससे पैसा निकालते जाते हैं और जो उद्योग कुछ समय तक लाभ में रहते हैं वे उद्योग फिर घाटे में

आ जाते हैं । सरकार पहले उसकी मदद करती है और फिर उसको अपने हाथ में ले लेती है । यह क्यों होता है, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में सोचे कि बीमार इकाई के साथ-साथ उस उद्योगपति की लाभकारी इकाई भी सरकार अपने हाथ में ले ले, इससे सरकार को ज्यादा नुकसान नहीं होगा ।

श्रीमन्, दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वह राजनैतिक कारण है । कई माननीय सदस्यों ने यह बात यहां पर रखी है । मैं भी कहना चाहता हूं कि राजनैतिक कारणों से भी ये इकाइयां और उद्योग बीमार होते हैं । एक राजनैतिक कारण यह है कि राजनैतिक नेता, सत्ता में बैठे हुए लोग इन उद्योगों से पैसा लेते है, चंदा लेते हैं और कमीशन लेते हैं । बैंकों से जो पैसा इनको दिया जाता है उस पैसे पर कमीशन लिया जाता है । लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बैंकों से जो इन बीमार उद्योगों को चलाने के लिये दिलाया जाता है उसमें कमीशन के रूप में ये राजनेता पैसा लेते हैं । यह जो सारी प्रवृत्ति है इसको तोड़ने की जरूरत है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई समुचित नीति बनाये ।

अब मैं दादरी सीमेन्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । बहुत सी बातें सामने आई हैं । 2 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करने की क्षमता इस फैक्टरी की है । 1975 से इसका झगड़ा चल रहा है और 1600 से अधिक मजदूरों की समस्या का सवाल है, उनकी रोजी और रोटी का सवाल है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार 1975 से आज तक क्या करती रही ? अगर इसके ऊपर पहले से समुचित कार्यवाही की जाती तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति बनी है यह स्थिति नहीं बनती । 16 सौ मजदूरों के रोजगार का सवाल है । उनके सभी ड्यूज अभी तक बाकी हैं । उनकी तनख्वाहों और नौकरियों का सवाल है । सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया । तीन करोड़ 97 लाख रुपया मजदूरों का बाकी है और सरकार ने प्रावधान किया है 84 लाख रुपये का । यह कितने आश्चर्य की बात है कि 3 करोड़ 97 लाख रुपया कुल मिलाकर बकाया है और आप 84 लाख का प्रावधान कर रहे है, मजदूरों को देने के लिये । इसलिये यह बात आपको सोचनी होगी ताकि मजदूरों का हित हो, उनको पूरा पैसा मिले और उनकी नौकरियां उसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो अभी तक उस फैक्टरी में काम करते रहे हैं उनमें किसी भी मजदूर की छंटनी की जाये, किसी की छंटनी न हो, इस तरह की आप व्यवस्था करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । बीमार उद्योग सरकार अपने हाथ में ले लेती है लेकिन उसके बाद भी कुप्रबन्ध के कारण स्थिति वही बनी रहती है, जो पहले होती थी । मैं समझता हूं कि प्रबन्धक मंडल, संचालक मंडल या बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में जो भी नियुक्त किया जाये उसमें जब तक व्यवसाय विशेषज्ञ नहीं होंगे तब तक कारखाने लाभ में नहीं चलेंगे । सीमेंट कारपोरेशन के अन्तर्गत आप इसको ले रहे हैं । जरा सीमेंट कारपोरेशन की भी जांच कर लीजिये इसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है । अभी कई माननीय सदस्यों ने सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने कहा कि सीमेंट में बड़ी काला-बाजारी हो रही है । सभी जानते हैं कि बम्बई से ले कर हिन्दुस्तान में हर जगह पर सीमेंट को

O

[श्री प्यारे लाल खंडेलवाल]

बड़े-बड़े घोटाले और ब्लैक मार्कीटिंग हो रही है । सीमेंट में कितना व्यापक भ्रष्टाचार और कालाबाजारी हुई है यह किसी से छिपा नहीं है । हिन्दुस्तान के अखबारों में रोज भरा रहता है । बड़े-बड़े लोग सीमेंट की ब्लैकमार्कीट करने में फंसे हुए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सीमेंट की कालाबाजारी तब समाप्त होगी जब उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन तब बढ़ेगा जब सरकार की मूल नीति में परिवर्तन होगा । जब तक सरकार उत्पादन नहीं बढ़ाती तब तक सीमेंट की कालाबाजारी समाप्त नहीं हो सकती । सरकार इस तरफ ध्यान दे और सुप्रबन्धकों का इन्तजाम करे और सीमेंट के जो भी कारखाने आप चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं या लेना चाहते हैं सभी में ऐसे प्रबन्धकों को नियुक्त करें जो उत्पादन बढ़ाएं और इसके साथ-साथ उसमें सुप्रबन्ध रखें । यह तमाम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री कल्पनाथ राय : मूल नीति क्या होनी चाहिए ?

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैंने यह बताया है कि उसमें सरकार मजदूरों को भागीदार बनाए, केवल आपके द्वारा नियुक्त किये गये प्रबन्धक नहीं चला सकते ।

M^S^rlr., SUSHIL CHAND MOHUNTA (Haryana): Mr. Vice-Chairman, after the Indep endence of the country, a realisa tion dawned upon the then Gov ernment of India that certain commodities and certain finished products of certain industries were of vital importance to the country and that the Government had to exercise vigilance and con trol over those industries, and for that purpose, the Parliament en acted an Act, known as the Indufl-trial (Development" and Regula tion) Act in 1951. This 1951 Act empowers the Government to deal with those industries dealing with those commodities which are of a very great importance to the . country,' in public interest and of national importance. In 1951, the Government of India came to know that cement was one such commodity, finished which was, of vital importance to the country. But from 1951 till today they have more or less slept; no action was taken. This particular industry which came up inl 1978-79 and which saw a rapid progress in development durmg its infant years of 1956, came up with a production of about 2 lakh, tonnes. But immediately after reaching a level of good success in its field, this industry showed a relapse and the eyes of the Government did not open. It was a national loss. What led to the relapse in this industry, is most important to know. The relapse was not because the workers did not work; the relapse did not come about because the finished product could not be sold; the relapse came into being because the management of the company thought of defrauding the company bv takng over the sole selling rights of the finished product, that is, cement. And in this manner, goods worth some crores of rupees were sold and no payment was given to the company, with the net result the coffers of the

company became empty; the mill could not function. Therefore, seeing the state of affairs of the company, of the mill, an enquiry committee under the Industrial (Development and Regulation), Act was set up to go into the affairs of the- company. That was a detailed enquiry and a detailed report, I understand, was submitted to the Government. Parliament, till today, has not been taken into confidence in regard to the contents of this report. But I understand, this report contains remarks against the management and the working of the compariy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please excuse me for a moment. Mr. Sezhiyan, you were not here at that time. I informed the House at the very beginning that because the Calling Attention Motion is being discussed in the other House stiU and since the Finance Minsiter is replying there, lie vUl come here as soon as it is over in the other House and then tbe Calling Attention Motion will be taken up here.

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu) Can any time be fixed? THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DIJSTESH GOSWAMI): Our whole calculations have gone wrong.

SHRI ERA SEZHIYAN: Will it be taken up at 3 or 3.30 P.M.?

THE VICE-CHAIRxMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I have been informed that he wiU be coming here as soon as it is over there.

SHRI S. KUMARAN (Kerala): Some time should be fixed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not mind fixing the time. But supposing if we fix the thne at 3Jt* or 4 P.M. a ad the debate is not over in the other House by that time, we will be landing ourselves in the same difficul^y.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh): It can be assured that it will not be earlier than 3.30 P.M.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): That will do.

SHRI ERA SEZHIYAN: Sir, in the meanwhile, we can seek the clarifications from the Minister of Industry, who is present here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That is not possible. We can take it that it will not be taken up earlier than 3.30 P.M. The moment the debate is Over in the other House, he will be coming here.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: I was talking about the relapse of the industry which led to an enquiry by tiie Government of India under the Indusfries (Development and Regulation) Act of 1951. This euqmr/ was ordered in 1973. This was a detailed enquiry. But this enquiry report has not seen the light of the day. After tha":, the company, as it was functioning, agaiii ciosed down for lack of funds. It remained closed for a pretty long period of ten montl:^. The Government of India did not wake up. During this interval, during this period, when it remained closed, certain financial institutions like the banks were associated with the finances of the company, with the management of the company. They also tried their level best to breath life into this company. But

[Shri Sushil Chand Mohunta]

because of the heavy arrears of this company to various people, including the labour, and the most important of them all, the electric supply company, the power connection to this coiiipany was disconnected for non-payment of dues. Because of this disconnection, the company, iiistesd of trying to clear the arrears or having a discussion with the electric supply company and restart the industry, thought that this was a convenient way out ^'or them to finally close down this company. This closure was illegal. Closure has to be by proper notice. Closure has to be precnded by payment of advance to the labour. There are many things which have to be done before clo-sure can be ordered. The Government of India, till today, has not taken tiny action against the management for this illegal closure. Now, Tve have this Act before us-

A very interesting thing about this Act is that it says that 23rd June, 1981, shall be deemed to be the appointed day. The conception of appointed day is there in the various enactments with a view to achieving some purpose. It has a nexus with the purpose to be achieved. But this is a strange Act where the pmrpose achieved has nothing to do with the appointed day. This fixing of 23rd June as the appointed day is a fraud upon the labour, the people employed in the industry, because, it does not recognise the rights of tlte labour and their dues from the day wjien this company was illegally closed, namely, in 1980. It was 18-3-1980 and this should have been the appointed day. The assets and liabilities of the company should have been taken over on the date of closure and that date should have been deemed to be the appointed day. I do not understand, what is the purpose in having 23rd June, 1981. as the appointed day. What has led the framers of this Bill to fix 23rd June, 1981, as the appointed day? What has led them to this conclusion that 23rd June, 1981, was the auspicious day, which should be deemed to be the appointed day? This fixing of 23rd June, 1981, has more or less robbed the poor labourers who have been starving for all these months because of illegal closure of the factory and the Government has not come to their rescue. Then, Sir, this Bill is a post-Ordinance Bill. There are a number of dis-advantages in issuing the Ordinance, but there are advantages also. By the time the Bill comes up for consideration, we have the advantage of the functioning under the Ordinance and you can, very easily see that from the day the Ordinance came into force, till today these 2000 odd labourers are on the streets. Not a penny has been paid to them and there is no hope for them in future. I - *mil* precisely tell the reasons for it. The question is, only about 90 or 100 persons are working in the mill. What about the remaining 1600. I understand the number of employees was 1600 and about 400 were contract labourers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please con clude. *J*

SHRI SUSHIL CHAND MO HUNTA: I will take two or three minutes more.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वे कभी-कभी बोलते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not mind your taking two or three minutes more.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: So, I was saying that the number of contract labour was 400 and about 1600 labourers were on the roll, but now we have only 100 labourers working. I understand that the labourers have represented that they are prepared to forego '50 per cent of thier salary and wagee till such time as the company starts production. In spite of that only 100 people or so are asked to work and the remaining labourers have no hope at all. Now, Sir, we have seen one more thing. The management which has now been handed over to the Cement Corporation of India, have found out a novel method of punishing the labourers. I do not know why they must go through the rigours of the medical interview. Medical interview for labourers, I cannot understand. These labourers are experienced hands, they have been working for a long time. What is the medical inteirview about? The company was illegally closed down. The Government has decided finally—though late, it must have been done earlier—to take it over. All sections of the people and, I think, Members from both the sides of this House welcome the idea of taking over of the company, but certainly they 3o not relish the way it has been taken over.

Then, Sir, another significant thing about it is that anothfer inquiry into the affairs of the company was got conducted in 1978 under the Industrial Development and Regulations Act. That is why we do not know what we are asked to do. A plain piece of paper or just two or three pieces of papers having certain sections of the Bill have been given to us. This is not the way to consider a Bill in Parliament, We must know the previous history of the industry. ,

Then, Sir, many of the hon. Members of the House have suggested that, after all if it was the management which has taken the benefit, the undue and illegal iaene-fit by virtue of managing the industry and misappropriating large sums of money, worth Rs. 20O crores, are we just gcing to acquire the same and allowing them to go scot free? The labourers are suffering, everybody is suffering. There should be a method, they should be prosecuted for it, for the illegal closiure—that is number one—and for misappropriating large sums of money; and the Government shovdd adequately protect the interests of the labour there. The labour, the employees, iheir interests must be protected and here in this particular case it is surprising that the Government ha? finally decided, I would say, the Cement Corporation of India have decided that they will only do the grinding work. They will get clinker from Neemuch. This is very surprising. A number of employees have come and met me. They say: "We are prepared to run it. The Goverrmient should entrust the management to us. Who says it is going into losses?". You will be surprised that whereas the installed capacity was 2.39 lakh tonnes and the company had been giving the lowest figure as 1.63 lakh tonnes when it was working, neie they say that the company will be working at the capacity of, I think, 1.25 lakb tonnes. And the employees say that even now if it is properly run and managed, the out-turn will be 2 lakh tonnes. Yet these are the very people who have been kept out of it. What is the hope? How are they going to be compensated? Taking over of this factory should uot be merely an exercise in protecting the management, telling them, "All right, with all the mischief you have done, you go *hotaa* and now we will *TWO*. the sick industry". A sick industry must be run properlv and it can be dona-

[SHri Sushil Chand Mohunta]

only if funds are given to it. And what are the funds given to it? Only 87 thousand rupees to be distributed among the workers as their salaries and other dues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please conclude now.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Just two more points and I conclude. We have before us instances where the sick industries were taken over by the Government, with the result that they became more sick. If this industry is going to meet the same fate, what is the take-over for? As some Members did suggest-that if there is any other concern of this very management, which is running in profit, that also should also be taken over to compensate the losses in this particular unit. I believe this management does have a cement factory in Rohtas probably. The Rohtas unit being untouched, this unit is being allowed to go in losses. This House must be told that this particular company went into losses because of neglect, default and criminal intentions of the management to fleece and rob the company. If these are the reasons, then that management should not be spared and the assets of Rohtas company should be amalgamated with this company and both the companies Bhould be joined together so that the labo\ir in this partlcxilar company does not suffer. This is my suggestion to the Minister.

I would also suggest to the hon. Minister that whenever a Bill of this type comes up, the House should be taken into confidence about the previous history of the company to enable us to form a correct opinion about what we are taking over and why we are taking over, with all the consequences. We do not have the background.

Just one more point. Sir. It is a suggestion. Cement is of such vital importance for reconstruction, development and the progress of the country. When the Central Government has taken over coal mining and so many other sectors like oil and petroleum products, in this particular sphere the Central Government must step in and take over the management of all these cement factories so that equitable distribution of cement and its production are ensured. Things should not be left to these private individuals. We have seen the result of leaving these things to private individuals. Everyday we read in the papers that a cement bag is being sold for Rs. 125 in Bombay. Another aspect is that people at the helm of affairs in certain States or elsewhere, in that event, will not be able to charge a premium upon the allotment of cement to certain private individuals. That aspect of the matter will be coming in the Calling-Attention Motion. So, Sir, I resume my seat thanking you for [allowing me this liberty to take extra time and, at the same time, requesting the hon. Minister agaia that these suggestions which I have made are basic in nature and they wiU have a far-reaching effect upon the economy and development of his country and, therefore, this cement industry should be taken oter'by the Union of India.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसा कि विरोध पक्ष के लोगों ने कहा है, यह सीमेंट इन्डस्ट्री एक कोर इन्डस्ट्री है और इसी के आधार पर दूसरी इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं, उन के लिये छाजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है और इसके महत्व को देखते हुए व्यक्ति विशेष भी इसको व्यवहार करते हैं, बड़े-बड़े महल बनाये जाते हैं और इतना महत्व जब इस कोर इंडस्ट्री का है तो सरकार को चाहिए कि इस पूरी इंडस्ट्री को वह नेशनलाइज कर ले इन दि इंटरेस्ट आफ कंज्यूमर, इन दि इंटरेस्ट आफ दि डेवलपमेंट आफ दि नेशन यह कर लिया जाना चाहिए। और मैं सरकार से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के महत्व को देखते हुए, इस के उपयोग को देखते हुए इस बात का भी वह आश्वासन दे कि वह निकट भविष्य में इस पूरी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लेगी और एक भी कारखाना प्राइवेट हाथ में नहीं रहेगा। आज तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी हुई है सीमेंट की या दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें 80 से 90 परसेंट तक रुपया--पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स का लगा है। या तो वह लाइफ इंश्योरेंस का है या बैंक्स का है या दूसरे जो इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका पैसा उन में लगा है और उन के बल पर यह इंडस्ट्रीज आज देश में खड़ी हुई हैं और जब उन में 85 परसेंट पैसा सरकार का इस प्रकार से लगा हुआ है तो सरकार को उनके लिये कोई वाया मीडिया निकालना चाहिए और जब तक वह इस सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज नहीं करती है उस समय तक पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के पैसे को मानिटरिंग करने के लिये कोई न कोई मशीनरी सरकार को इवाल्व करनी चाहिए ताकि जो पैसा इन इंस्टीट्यूशन्स का उनको दिया जाता है, यह देखा जा सके कि उस का ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, या वह पैसा किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है। इस बात पर सरकार को सोचना चाहिए।

इस दादरी सीमेंट फैक्टरी का मैनेजमेंट सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया में शामिल हो जायेगा। यह उसमें मर्ज कर दी जायेगी। सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। वह रेड में रन कर रहा है। सीमेंट की खपत इस देश में काफी है और उस की स्केयरसिटी है। हम सीमेंट बाहर से मंगाते हैं और उस के बाद भी यह इंडस्ट्री रेड में रन कर रही है, घाटे में चल रही है और सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का मैनेजमेंट खराब है। सरकार को सीमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिये, इस कोर सेक्टर इंडस्ट्री को चलाने के लिये या किसी और पब्लिक अंडरटेकिंग को चलाने के लिये मशीनरी की आवश्यकता है, एक कैडर की आवश्यकता है। आज कैडर का अभाव है। आप किसी इंडस्ट्री को टेकओवर करते हैं और वहां आई० ए० एस० आफिसर भेज देते हैं। वह फाइलों का काम जानते हैं और वहां के लिये अनुभवहीन होते हैं अपने यहां कागज उलटते हैं और वहां जा कर उनको सीमेंट की बोरी उलटनी पड़ती है। उसे तो वह दफ्तर में बैठकर कन्ट्रोल नहीं कर सकते। इसलिये आपको अपनी कोर सेक्टर इंडस्ट्री और दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिये एक कैडर तैयार करना होगा। जब तक आप यह कैडर बिल्ड नहीं करेंगे मैनेजमेंट के लिये उनको दक्ष नहीं करेंगे, उन को प्रशिक्षण नहीं देंगे आप इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को नफे में नहीं चला सकते। क्योंकि रॉ मैटीरियल होने के बाद भी आप उसे कायदे से नहीं चला सकते जब तक आप के पास शिक्षित कैडर न हो। संभव है कि आपको हर इंडस्ट्री के लिये अलग-अलग कैडर तैयार करना पड़े, सेपरेट कैडर तैयार करना हो, सीमेंट का अलग, शुगर का

[श्री रामानन्द यादव]

अलग और दूसरी इंडस्ट्रीज का अलग । लेकिन सेंपरेट कैडर बिल्डिंग आप करिये इस देश में और उस कैडर को काम सौंपिये कि इस इंडस्ट्री को चलाने में योगदान करे। मेरा विश्वास है कि वह कैडर निश्चित रूप से इसको चला सकेगा और अभी जो रॉ-मैटीरियल आप भेज देते हैं वह इसको नहीं चला पायेगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग का जो ढांचा है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इसके लिए आप एक कमेटी बनाइये और यह इंवस्टिगेशन कराइये कि कहां लैकूना है, क्या-क्या सुझाव हैं ताकि ये जो हमारे 90 परसेंट पब्लिक अंडरटेकिंग घाटे में चल रही हैं और अरबों करोड़ों रुपया उनमें लगा हुआ है, पब्लिक एक्सचेकर का बरबाद हो रहा है, उसको बचाकर कैसे मुनाफे में चलाया जाए, यह उपाय निकल सके। इसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी बनाइये और उसकी फाइंडिंग्ज को लेकर एक रास्ता निकालिये । हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के लिए पूंजीपति कहते हैं कि तुमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री ली, क्लाथ इंडस्ट्री ली, फारन ट्रेड लिया, सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। इसलिए इस क्लेम से बचने के लिए आप एक कैडर बनाइये ताकि इनको चलाने में आपको सुविधा हो सके ।

श्रीमन्, कंपेंसेशन की बात मैं नहीं समझता । आप भी जानते हैं कि जब आप किसी इंडस्ट्री को लेते हैं तो कंपेंसेशन का क्लाज जरूर रख देते हैं। लेकिन कभी आप यह नहीं सोचते कि वह सिक इंडस्ट्री कैसे बनी । पहले उसमें कितना प्रोडक्शन था, अब कितना हो रहा है और वह किस लिए सिक बनी । बावजूद इसके कि आपके फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन्स से काफी रुपया आया और उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए आपने गारन्टी देने के लिए, पैसा देने के लिए उनकी मदद की। लेकिन मालिकों ने उस पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। आधा उसमें लगाया और आधा डाइवर्ट करके फिर उसमें सिकनेस क्रियेट करके अन्त में उसका क्लोजर कर दिया। क्लोजर करने से पहले जितने उसके असेट्स हैं, अच्छी बिल्डिंग्ज हैं, मूवेबुल प्रापर्टी है, सब को वह बेच देते हैं, दूसरे शेयर्स भी ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह से पब्लिक का पैसा लूटा जाता है। तो कंपेंसेशन वाला क्लाज जैसा कि हमारे झा जी ने भी सुझाव दिया, इसमें आप सुधार लाइये । कंपेंसेशन देने की ही बात छोड़ दीजिए । यह फैक्टरी आप जानते हैं ठीक से चलती थी। डालमिया ने एंपायर बनाया इस सीमेंट इंडस्ट्री की बदौलत। दादरी में, रोहतास में और कई जगह उसकी इंडस्ट्रीज थी और सीमेंट इंडस्ट्री की बदौलत उसने फाइनेंशियल एम्पीयर बनाई और इसी फंड के डाइवर्शन के लिए उसको एक वर्ष की सजा भी हुई थी, इसी घोटले को लेकर— किस तरह से यह घोटाले हो रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष जी, यह जानते हुए भी उसने मशीनरी बेच दी, जमीन बेच दी, मजदूरों का पैसा जो अलग-अलग हेड्स में मिलता है, जैसे पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट, 1946 के अनुसार मजदूरों का पैसा बाकी है। पेमेंट आफ बोनस एक्ट में उनका पैसा बाकी है, पेमेन्ट आफ ग्रैच्यूइटी ऐक्ट, 1972 के आधार पर उनका पैसा बाकी है । पेमेन्ट आफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, के अन्दर जो इंड्यूज थे, जिस पर डिस्प्यूट था वह भी बाकी है और फिर बाकी रहते हुए भी आप उसको कंपसेशन दे रहे हैं। उसको आपसे कितना लोन मिला है और उसकी लायेबिलिटी कितनी है? जब भी आप कंपेंसेशन की बात सोचें तो यह भी देखें। आपने इसमें कंपेंसेशन के लिए 85 लाख रुपया रख दिया जबकि मजदूरों का 395 लाख रुपया उस पर बाकी है। यह बात ठीक है कि यह मजदूरों का जो पैसा है इसका

आप पेमेंट करायेंगे । लेकिन आपने 85 लाख रुपया कंपेंसेशन के लिए क्यों रखा है ? मजदूर क्लेम करेगा 1975 से और 1980 में जब बन्द किया गया तब 1600 मजदूरों को छांट दिया गया । आपने रखा केवल 85 मजदूरों को । सीमेंट कारपोरेशन ने एक फार्म छापा है उसमें कंडीशन लिखी है । जो कंडीशन लिखी वह मुनासिब नहीं मजदूरों के लिये । मजदूरों को छूट मिलनी चाहिये । उनको पेमेंट का क्लेम जिस दिन से क्लोज हुआ उस रोज से होना चाहिये यानी 75 से लेकर 80 तक मजदूरों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिये । यह उनका हक है । उनके हक को हमें मारना नहीं चाहिये । जो उनको मिलना चाहिये वह आप इस फार्म के आधार पर छीन रहे हैं । यह मुनासिब बात नहीं है । जो क्लाज कारपोरेशन ने इनू की है उसको जरा देख लिया जाए । अगर यही क्लाज रहती है तो यह मजदूरों के हक में नहीं है । मजदूरों को रीइंस्टेट करने की बात है तो उनको आपको करना चाहिये । आपको मालूम होना चाहिये कि इन्हीं मजदूरों ने बिगड़ती हुई आर्थिक हालत को देख कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । उनका रिप्रेजेनटेशन आया कि आप टेकओवर कीजिए । टेक-ओवर करने में उन्होंने आपकी मदद की। उन्हीं मजदूरों को आप छांट रहे हैं और उनकी जगह पर नये लोग रखे जायेंगे । पुराने लोगों को आप निकाल बाहर करेंगे। वे बेचारे मारे-मारे फिरेंगे । मेरा निवेदन है कि आ न पुराने लोगों में से जो स्वस्थ हैं, य हैं, अनुभवी हैं उनको वापस लीजिए आपने कैटेगरी बना दी, एक, दो, तीन कैटेगरी । यह बनाकर आप अफसर लोगों को रख लेंगे लेकिन गरीब मजदूरों का क्या होगा । उनके बारे में इसमें व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : आप समाप्त कीजिए ।

श्री रामानन्द यादव : अभी हमारे मित्र श्री शिव चन्द्र झा ने मजदूरों के पार्टीसिपेशन की बात कही । मैं ऐसा समझता हूं कि जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनको जो हक मिला हुआ है वह बहुत ही कम है । मैनेजमेंट के साथ जहां कहीं मजदूरों का पार्टीसिपेशन जितना गहरा होता है उतना इंडस्ट्रियल डिस्पयूट कम होता है । इसकी आज जांच कर लीजिए । मैं पूछना चाहता हूं कि मैनेजमेंट के साथ प्रोडेक्शन में मजदूरों का सहयोग लेने में आपको क्या दिक्कत है । अगर वह राय देंगे तो प्रेक्टिकल राय देंगे । वह सही राय होगी । लेकिन यहां दिक्कत यह है कि जो मैनेजमेंट में होता है वह कहता है कि हम 1600 कमाते हैं यह दो सौ रुपये लेता है, हम 2400 कमाते हैं यह 400 कमाता है । हम बी. ए., एम. ए. पास हैं यह अनपढ़ है । हमने लंदन से प्रशिक्षण लिया है यह यहीं का है । हम इस मजदूर की राय कैसे ले सकते हैं । यह हमें क्या राय देगा । जो मजदूर काम करता है वह हमें क्या दे सकता है । मुझे याद है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था लेकिन जहां कहीं फैक्टरी बनती थी तो उसे बुलाया जाता था हरेक काम के लिये । प्रोडेक्शन तक का काम वह करता था । पढ़ा-लिखा बिलकुल नहीं था लेकिन एक इंजीनियर को बताता था कि तुम को ऐसा करना है, वैसा करना है । यह कहना कि पढ़ा लिखा इंजीनियर ही सारी बात जानता है, मैनेजमेंट की बात जानता है, मशीनरी की बाबत जानता है यह गलत है, अनपढ़ भी काफी कुछ जानता है । पार्टीसिपेशन की बात है आप उनका पार्टीसिपेशन जरूर लीजिए । अधिक से अधिक आप उनको हक दीजिए

[श्री रामानन्द यादव]

पावर दीजिए । जब वह समझेंगे कि उनको हक मिला गया है, तो वह यह समझेंगे कि यह उनकी इंडस्ट्री है, उनकी फैक्टरी है । वह अच्छी तरह से काम करेंगे । इससे देश का फायदा होगा । अपना बनाने के लिये आपको उनको हक देने होंगे ।

Participation of labour in the rim-ning of the ndustry is very-essential so far as the public ;ector imdertakings are concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI)INESH GOSWAMI): Now)lease conclude. I will call the iext speaker. ,t-I

श्री रामेश्वर सिंह : यह मजदूरों की सरकार नहीं है । (व्यवधान)

3. P.M

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GOSWAMI): I hope this will be your last)oint.

SHRI RAMANAND YADAV: Last point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI)INESH GOSWAMI): One ninute. ?'i

DR. LOKESH CHANDRA (Nominated): He s making valid points. Let him continue. *Interruptions)*

SHRI RAMANAND YADJW: I shall sit lown, if you like.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): He has made all these points /esterday also. *(Interruptions)* Niw, pleas^ :onclude. We have only one hour for this Bin. We have now taken inone than H hours. Wo iave got two other Bills.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में सिक इंडस्ट्रीज की संख्या 24656 है, जिसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी संख्या 23555 है और बाकी जो है करीबन 1401 वे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और इन्हीं बड़ी सिक इंडस्ट्रीज में आपके फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस का जैसा कि विरोधी पक्ष के हमारे एक साथी ने कहा 13 सौ करोड़ . . . कितना कहा . . .

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : 13 सौ करोड़ ।

श्री रामानन्द यादव : आपका आंकड़ा गलत है । मुझे यह मालूम है कि 26 हजार करोड़ रुपया आपका व्यय हुआ है विभिन्न मदों में अनेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एल० आई० सी०, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कोआपरेटिव बैंक्स के साथ-साथ जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे लेकर और उसको खा-पीकर बैठे हुए हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उन सिक इंडस्ट्रीज से यह पैसा किस प्रकार से वसूल करेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का रियलाइजेशन किया है कि ये बैंक जो पैसा देने और फाइनेंस करने के लिये तैयार हो जाते हैं तो क्या इन बैंकों के पास कोई ऐसी मशीनरी है जो कि सिक मिलों का इंस्पेक्शन करती है बिफोर एडवांसिंग लोन कि वाएबल है कि नहीं यूनिट, इससे प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं और हम जितना अमाउन्ट इस पर खर्च करेंगे वह इससे निकल सकता है कि नहीं ? अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिये भी आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि इन मिलों की पहले इन्क्वायरी हो सके और जांच हो सके ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, I caU Mr. Ghosh.

SHRI RAMANAND YADAV: One minute. This is my last point, I will finish.

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप क्या इस बात की इन्क्वायरी करायेंगे कि आज तक जो बैंक लोन इन सिक इंडस्ट्रीज को मिले हैं वह इन बैंक अधिकारियों ने दिया या जो इसके लिये मशीनरी थी उसने दिया कि हां, यह पैसा रिकवर हो जायेगा । यह बैंक का पसा राइट आफ होगा या नहीं होगा । मेरा अपना ख्याल है कि जो सिक इंडस्ट्रीज को पैसा मिलता है, बैंक के मुलाजिम, इंडस्ट्री और सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मुलाजिम, जो इसको मानीटर करते हैं वे सब मिलकर पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटते हैं और इस देश का पूंजीपति इस पैसे को खा रहा है । आप इसको रोकिये नहीं तो इन तीनों की जो यह कांस्पिरेंसी है जो अरबों रुपया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस से लूट रहे हैं और यह जो इस देश मे हो रहा हैं.. (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please, no. ."Now, Mr. Ghosh.

श्री रामानन्द यादव : इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं ।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Mal-lick, I think you wiU have enough opportunity to use your lung power. . Now, Mr. Ghosh.

SHRI AR'ABINDA GHOSH <West Bengal): Mr. Vice-Chair-maUj Sir, my humble submission is to ask whether the Government, by. presenting this Bill, is serving the greater interests of the country. This is a welcome measure, no doubt, because for the last several years we have seen the inherent habit of the big business •of our country, who actually own three-fourths of the assets of the country, to sabotage and create conditions of sickness by looting and exploiting the workers. Then they make it sick. Generally, we support that this should be taken over. There sho^Lld be proper management which is free from corruption. And bureaucratic outlook should be immediately stopped in running this plant which is a very vital one. Sir, I would also like to point out that a similar industry, which has been mentioned here many times by the speakers, and run by this capitalist section should also be taken over. Otherwise it will cause a very heavy burden on the national exchequer^ Similar industries like the Remington Typerwriters, the Inchek Tyres and the National Rubber Factory should also be nationalised in this way. But the main hurdle is that since 32 or 33 years of independence, we are observing that there is an inherent malady in the proper managemeht and production and distribution. Otherwise, many sweet things can be uttered in this House about this Bill which is presented by the hon. Minister. We can discuss clause by caluse. We can accept it. But proper management and prober distribution are urgently necessary. So, my suggestion is that immediately the Government should set up a task force to deal with this and similar sick industries which have been taken over previously by the Gov« emment.

Sir, another point which I want to make is about the managerial corruption and the workers' parti-; cipation. Even in the Bill, so many things are there. But we want to see and we want to check it up that in future proper management and the workers' participation are ensured. The Minister will say in his reply that we shall accept all the valuable suggestions of the hon. Members. But we want that they should be implemented. 1600 workers are starving. It should be run with a proper perspective in the interest of the

[Shri Arabmda Ghosh] workers because. Sir, in our \ country, the workers produce and create the wealth of the country but everywhere they are deprived of their due share. When they i come to the public undertakings I or any corporation, the workers' share and workers' participation is endangered by the corrupt bureaucratic management. It is our sad experience since so many years. My suggestion is that compensation to this Dalmia big business and to the other big business of this countrj' should not at all be given. No compensation should be given. Simultaneously, the workers' interests should be preserved. They should be reinstated with retrospective effect, that is from 18th March when it had been closed down. Somebody was telling that it was ineifective to create any production since 1975. Moreover, corruption, mismanagement and ineffectiveness are there. So, the immediate necessity is to reinstate the workers who are actually starving. Only a skeleton staff will be working there when the plant will be started under the direct supervision of the Government, this is, the Cement Corporation of India. Then it will be seen that the workers' share is denied and after some years again the same thing will happen, the ineffectiveness, the managerial corruption. This is the sad experience of our country. So,, the workers' arrears, their pay and allowances and everything should be paid and ' the assets and liabilities of this plant, the owners of this plant, should be verified immediately, after taking over this concern. This should be done. Otherwise, the sweet words which we from both the sides are uttering will have no meaning. The Treasury Benches have also said many things in favour of the workers. So, my humble suggestion is that ' immediately the workers' interests should be ' safeguarded strongly and their due share should be secured. Ihis cement industry is-a very vital industry and there are many other industries which are- ' run by the Dalmia group and they should also be taken over by the Government. Otherwise, this-created sickness is there in the concerns of the big business of our-country. So, these things like--workers' interests, proper management, free from bureaucratic administration should be properly-looked into by the Government.. This is my suggestion.

SHRI S. KUMARAN: Sir, the Bill. Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1981, ia an important one and I welcome its idea. Sir, many sweet words^ were heard from the ruling party benches. Our hon. Member, Ramanand Yadaviji expressed his opinion that not only this cement factory but the entire cement factories should be nationalised. It is a very good idea. We welcome it. Our hon. Member, Shri Kalp-nath Rai, while supporting this Bill, suggested that ours is a democratic socialist Government and so we welcome this type of a thing. If you are sincere, I am asking Ramanand Yadavji, who isr opposing this nationalisation of the entire cement factories? We, in the opposition, welcome this thing. You can ask your Government, or you can ask the Parliamentary Party of the ruling party, to come forward with such a measure either through an Ordinance or through a Bill.. We all will support it. But I do not believe it. Shri Kalpnath Rai says that this is a democratic and socialist Government. These are all sweet words. This is in fact a capitalist Government. According to me, it is a capitalist Government. I, do not expect such a Government to go ahead with this programme of nationalisation. Mr. Ramanand Yadav, do you believe in this thing? Anyway, I am not

asking any such thing. Only ^ thing is that...

t SHRI RAMANAND YADAV: You must remember the context jn which I said it. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Kum-aran, you kindly address me. Do not into a dialogue. Tiq-Rf?^ ^J^^

. . . *(Interruptions)* It will not go on record.

SHRI S. KUMARAN: My *j»,* demand is very simple. The government should behave as a e"" decent capitalist Government. But this Bill is anti-working class and pro-capitalists. In what way? Sir, after the takeover of the management, there were 2,000 workers. What is the Government doing about them? Workers with 10 years or 20 years of service are out on the streets; only 300 to 400 workers have been taken. Even trade-union leaders are not being taken. Is this a socialist system? So, Sir, my submission is to take back all the workers. Otherwise, what is the aim of this Bill? Is this takeover only to protect Dal-S mias and give them compensation - of crores of rupees, v/ho have al-" ready misappropriated crores of rupees from this company? The aim of the Bill should be to have production in this company and protect the families of 2,000 workers. So, |ny submission is that ' you please reinstate all the workers who were previously engaged here and give them their salaries as recommended by the commission. Sir, there was a commission appointed which enquired into the affairs and make certain calculations and suggested the amounts due to the workers. Ins- tead of doing that, this Bill only provides for compensation to the owners and a very meagre amount to the workers. So, my demand is, you please recognise the fact that you have to reinstate all the workers if you are sincere about the functioning of the company properly. You recognise the trade-unions and implement all the trade practices instead of victimising the workers, attacking the workers and refusing to take the trade-union leaders into the factory. You have to give up that policy and provide .iobs to all the workers and give them their due, and get their co-operation,

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, this is a Bill on v.-hich both sides of the House hive shown much agreement on various points. Many basic issues have been raised and I am sure, the hon. Minister, with his afEable smile, will brush aside the basic issues raised and will get the Bill passed which in itself has not been opposed by anybody, nor by me.

But my submission is that such Bills are but a manifestation of certain *ad hoc* decisions—ad *hoc* decisions whether due to long bureaucratic delay or lack of will at the political level. A long delay, reducing the number of workers from 1600 just to 100 or 95, on the appointed day, as my hon. friend, Mr. Yadav, has pointed out. I think, the time has come to attend to "basic issues. Firstly, the question is whether the same group of persons, the same group of industrialists, who are otherwise earning profits should be allowed to. run a particular industry and whether the Government should come forward just to provide succour to this particular unit, or, whether all the industrial units under one industrial manafjement should be taken over. I had occasion to raise this issue even earlier." For example, in Kanpur, the J.K. Group is one unit which has been under illeffal closure since September, 1976. This is a textile mill. Technically

[Prof. Sourendra Bhattacharjee]

speaking, it will come directly Hnder Mr. Chanana's department. Now, it is under the Commerce Ministry. During the previous regime, it was under the Indutries Department. A decision on takeover has been pending to this day. No decision has been taken so far. As a result of this, workers have been languishing. Many of themi have died. Others are on the point of death. This is the position. I have with me the facts in regard to a cement factory, which is, perhaps, the largest cement factory in India. The Jaipur Udyog has been tinder suspended animation since 1976. The Government of India, the Government of Rajasthan and the State Bank of India have poured in Rs. 17 or Rs. 18 crores into this company. This is in an *ad hoc* state. The previous management which was responsible for the company's sad plight is now reported te be canvassing for the restoration of the management to it. The name of Mr. Alok Jain has been referred to in this connection, who was the

- managing agent. So far as I ' knew, the Dalmia Dadri company

and Mr. Jain are in league vi^ith each other. While the industries go sick, the industrialists do not. '"The question is, whether the Government of India would attend to

- this basic problem. This is the first point. The second point is,
- whether the workers who are ren dered unemployed will get back their employment and whether their capacity would be fully utilis ed, to restore production in, what

has been described in the State ment of Objects and Reasons of the Bill, the interest of the country. These are the issues which have to be clarified. A decision on these issues has to be taken and Par liament, not only Parliament, but through the House, the whole country as well should be satis fied. Otherwise, such *ad hoc* mea sures would not be able to tackle the problem, the problem of in dustrial sickness, which is basical ly a problem of production. A decision on these basic issues should be taken soon.

Sir, cement is a very scarce commodity. This is a scarce material in our country. We are in short supply, as far as cement is concerned. But our potential Is not limited; it is not meagre. *The* potential is not being fully utilised. The potential can be fully utilised if only the State undertakes the responsibility for the full production without allowing the private entrepreneurs to under-utilise the capacity of production and thereby create arti- *A* ficial scarcity. Hence, these are * the basic issues which the Government will have to attend to. Just at the moment, I am not demanding a reply to be given on all these issues, nor do I expect the hon. Minister to give it. But the time has come and the question is whether that assurance can be forthcoming from the hon. Minister that these basic issues will be attended to by the Government, and not the least of It, is the question of the nature of the management in which the workers should have a direct involvement so that they can feel "• that thev belong to the industry and the industry belongs to them.

श्री महेन्द्र मोहनव मिश्र (बिहार : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सर्व प्रथम यह जो बिल डालमियां दादरी सीमेंट लिमिटेड विधेयक सदन में आज आया है उस का दिल से समर्थन करता हूं और हमारे ककाफी भाइयों ने इसका समर्थन किया है । इस सिलसिले में मैं दो तीन बातों की ओर खास तौर पर इशारा करना चाहता हूं ।

यह बात प्रचलित हो गयी है कि जिस संस्था या प्रतिष्ठान को सरकार ले लेती है, चलाती है वह घाटे में जाता है । मेरा अनुभव

है कि 109 टेक्सटाइल मिल्स को हम ने लिया लेकिन आप देखेंगे कि यह सारी 109 टेक्सटाइल मिल्स आज घाटे में चल रही हैं। अन्य अन्य प्रान्तों में भी जितनी दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं स्टेट के पैमाने पर या केन्द्र के पैमाने पर, सरकार ने जिन को अपने हाथ में लिया वह सब घाटे में चल रही हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी ने मुजफ्फरपुर में एक बटनर कंपनी जो रेल के वैगन बनाती है उसको लिया और वह आज 90 लाख के घाटे में चल रही है। इसलिये खास तौर से मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जो उद्योग बीमार हो जाते हैं जो इंडस्ट्रीज सिक हो जाती हैं उन के बीमार होने के पूर्व आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वे बीमार न होने पायें और जिन की पूंजी उन में लगी है, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की पूंजी लगी है। वे उन को देखभाल करते रहें ताकि वे बीमार हो न होने पायें। आप को एक इंडस्ट्रियल पालिसी है और जो हेल्दी यूनिट्स हैं उन को आप बीमार यूनिट्स से जोड़ कर खड़े करना चाहते हैं। लेकिन आप को व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई यूनिट बीमार हो न होने पाये। इसके लिये आप को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए या कोई अन्य व्यवस्था आप को करनी चाहिए।

दूसरी बात जिस की तरफ हमारे भाई रामानन्द जी ने भी इशारा किया था और मैं भी कहना चाहता हूं कि आज हम उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, आज हम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि सीमेंट, लोहे, कोयले का उत्पादन कम होगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास नहीं हो सकता। आप इन का उत्पादन बढ़ाने के लिये जागरूक हैं और आप उस के लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं। बिहार में एक जमाना में सीमेंट फैक्टरी है डालटेनगंज के पास जहां से हमारे भीष्म नारायण सिंह जी आते हैं। वह आज बंद है। उस के ऊपर भी आप ध्यान दें। उस की हालत अच्छी नहीं है। बिहार में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं उस फैक्टरी का सरकारीकरण करने के लिये या उस को ठीक करने के लिये आप कोई कदम उठायें।

जैसा हमारे भाई रामानन्द जी ने कहा और हमारी प्रबल धारणा है कि इस सिकनेस का मुख्य कारण यह है कि उन में मिसमैनेजमेंट होता है और इस कारण ही वे उद्योग सिक हो जाते हैं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि देश के संचालन के लिये जैसे आप ने आई ए एस और आई एफ एस के कैडर बनाये हैं, आई पी एस के कैडर बनाये हैं उसी प्रकार आप उद्योगों के लिये भी कोई आल इंडिया कैडर बना लें। आप को स्मरण होगा कि डालमियां और बिरला के प्रतिष्ठानों में अहमदाबाद इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के और जयपुर और पिलानी के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन्स के लड़के पढ़ने के समय से ही बुक कर लिये जाते हैं और वे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में प्राइवेट सेक्टर में ले लिये जाते हैं। यह दुख की बात है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज अगर दो व्यवसाय भी चलाती है तो उन में उन को फायदा होता है, उन में वे तरक्की करती हैं लेकिन उसी के मुकाबले में अगर आप किसी सरकारी उद्योग को लें तो हम घाटे में चलते हैं। तो मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी ने अभी हाल ही में अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी का एलान किया है। आप जागरूक हैं इस बात के लिये कि देश में औद्योगीकरण का काम कैसे तेजी से चले। इस लिये मैं चाहूंगा कि आप मैनेजमेंट के लिये एक आल इंडिया कैडर बनायें जिस में आई ए एस और आई एफ एस, उस की सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाये हुए आदमी हों और वे उन उद्योगों को सुचारू रूप से चलायें जिस से देश के उद्योगों का सही तरह से संचालन हो सके। ऐसे लोगों का आप आल इंडिया स्तर पर एक कैडर बनायें और उन लोगों को उस में रखें।

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम ने चुनाव के मैनीफेस्टो में भी कहा है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए । आप इस बात को लागू करें । जब तक वर्कर्स का सेंस आफ इंवाल्मेंट किसी इंडस्ट्री में नहीं होगा निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री की तरक्की नहीं हो सकती है ।

और तीसरी बात मैं यह कहना चहता हूं कि आपने अपने बिल में यह लिखा है कि अप्वाइंटेड डे के दिन जितने श्रमिक मस्टर रोल पर रहेंगे उन को आप इंप्लायमेंट देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस की जगह डे आफ दि क्लोजर रख दीजिए तो अधिक उचित होगा । मान लीजिए कि 18 मार्च, 1980 को वह बंद हुई तो उससे मजदूरों को आप आसानी से ले सकते हैं ।

अगर आप चाहते हैं कि जो सिक इंडस्ट्री है उसको खड़ा करें, तो मैं चाहता हूं कि आप सदन को यह आश्वासन दें कि आप ऐसी प्रणाली अपनायेंगे कि जो बूढ़े हो चुके हैं, सुपरएन्यूएशन वाले हैं उनको मुआवजा देकर निकाले ।. . . (व्यवधान)

SHRI S. KUMARAN: Will you support the amendment in that behalf?

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : तो मैं चाहूंगा कि उस में जो नियुक्तियां भविष्य में आप करने जा रहे हैं, क्लोजर के दिन जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे लेने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा कि ऐसा न हो कि इतना बोझ जो हमारी सिक इंडस्ट्री पर है उस पर और लाद दें । सरकार के पास साधन नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपने आश्वासन दिया, जो भविष्य में नियुक्तियां होंगी उनका ध्यान रखें ।

जहां तक प्राविडेंट फंड, ग्रैच्युइटी जो उनकी कमाई का पैसा है और आपने कहा भी है कि उसको, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जब खुशहाली में यूनिट हो तो उसका प्रबंध करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोरदार समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI' DINESH GOSWAMI): The mover of the Resolution, Shri Bagaitkar, is not here. The hon. Minister,

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I am thankful to the hon. Members who have supported the Bill and welcomed the nationalisation of the Dalmia Dadri Cement factory. I also thank the hon. friend who only half supported it because by the time I finish speaking, I am sure he will also support the Bill. sirq^ isft 55 समर्थन किया, वह भी पूरा हो जाएगा ।

Now I would like to take, with your permission, Sir, the points raised by the hon. Members. The hon. Members would permit me to take the points relating to the unit and the Bill as such first As far as the general points are concerned, they fortunately fall in the policy statement and I woidd like to explain about that also. After listening to all this, I hope the hon. Members would withdraw the amendments.

I shall take up the amendment to clause 1 first. The date of 18th March, 1980, is, in fact, the date when the cement factory closed down. The Bill is, in fact, replacing the Ordinance which was issued on 23rd June, 1981. The Bill, when enacted, cannot take a retrospective effect; it will take only a prospective effect. The date, therefore, cannot be advanced.

As regards clause 2, the date of 18th March, 1980, is the date ou which the mill closed down. A friend, in fact, talked about tne history of the mill. I would only like to mention one point—the

last incident in the life of the Bill—and that was after the enquiry of 1978 to diagnose the all^ ment. I wouU like to draw the attention of the House to the fact that when the Janata Government was in power, it was decided in March, 1979, that the unit should be allowed to close down and accordingly an application was filed in the High Court for winding up the unit. After the present Government came into office, it was decided that efforts should be made to re-vitalise the mill. This fact would help the hon. Members who have participated in the discussion on the Bill to appreciate that this contradicts with their stand of giving employment to workers. I would only say that one of the major objectives of the Bill, in fact, is the employment of the workers of the mill.

Coming to clause 7, the amotmt mentioned by the hon. mover of the amendment is Rs. 84 lakhs. It is not Rs. 84 lakhs; the actual amount is Rs. 84.87 lakhs. This has been arrived at on the basis of the depreciated value of fixed assets which is Rs. 13.87 lakhs and the realisable value of current assets which is Rs. 71.00 lakhs. The total in fact comes to Rs. 84.87 lakhs. The amount of payment of Rs. 84,87 lakhs is in fact the depreciated value of the fixed assets, and, therefore, the amount suggested has no basis.

Payment of compensation to workers in fact will be made by the Commissioner of Payments which is a semi-judicial body.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: How much?

SHRI CHARANJIT CHANANA: It is Rs. 84.87 lakhs.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Date?

SHRI CHARANJIT CHANANA: Date I have already said. I would like to draw the kind attention of the hon. Members to the Schedule which they have mentioned. Seeing the Schedule, I don't think the Commissioner of Payments can go much down below. Top priority in fact would be towards payment of dues of the workers.

With regard to clause 8, the amount has to be paid by the Commissioner of Payments and not directly by the Government. The Commissioner of Payments enjoys a quasi-judicial status and we should have faith in the injustice that would be done by him.

With regard to clause 12, employees of the company cannot in fact become employees of the Corporation as on 18th March, 1980 as Yadav Saheb has said. The Ordinance was in fact issued on 23-6-1981 and the amendment in fact will come into force only on this particular date according to the law.

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): If you permit me, Sir, the point my friends from this side emphasised is that when the Government took over, at least from that date, the workers should be considered to have been taken in service. If you at least give them this assurance, you will be able to inspire them and get the best work out of them. Now your Department may start functioning as to make them ready, hut let the workers have this assurance that they are back in their jobs.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Probably the hon. Member has not listened to the first thing I said, that the Act would have prospe^'tive effect and not retrospective effect as he is saying.

Sir. one or two hon. Members talked about workers' participation. There appears to be a communication gap in this particular case, because all those workerar

[Shri Charanjit Chanana]

leaders connected with this know that I have personally *been* connected with the whole thing aad the workers' fuU participation in the process. In fact, the decision that the Government has taken has been a full one. In fact, one of the exercises which the workers and the Government worked out was to convert this unit, a demonstration unit, as a workers' unit itself and that, unfortunataly, could not be got through. The workers, till today, are in fact a part of the implementation of the whole thing.

SHRI SADASHXV BAGAITKAR: What is their number, please? Specify the number of workeis.

SHRI CHARANJIT CHANANA: I am talking of the workers' communication with the Government. The communication *with.* the Government, the *via media,* is the workers' union there, and there is a direct communication between -he union and the G^'V-ernment.

(Interruptions)

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: How... *(Interruptions)*

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, I want... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let hlni conclude. Then if Members still want to seek clarifications, they can.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, kindly allow me to correct the hon. Member's statistics on the number of employees. •Some hon. Members had earlier mentioned the number of employees. It is not 2,000. It is approximately 1,600. Out of the 1,600 employees there is a process of absoipticn of the workers within the operation of the whole unit. Now you don't want that before the mill starts operating the workers should be immediately absorved. The workers' union, in fact, is in close communication, direct communication with the Government and they are sure about this thing that their optimum obsorption wiU be there in the mill.

DR. BHAI MAHAVIR: In six weeks only 100 have been absoi-b-ed.

SHRI CHARANJIT CHAI^A-NA: I wish there were a correla- i tion. If a switch were there, we "-: would put it on. Unfortunately, it is a sick mill. If you know the structure of the mill,...

DR. BHAI MAHAVIR: Give us some assurance; say by when they will be absorved.

SHRI CHARANJIT CHANANA: I can assure you that there will be no discrimination at all against the workers. *(Interruptions)* The hon. Member wanted a general assurance from us and the general assurance is that there will be no discrimination. In fact, our Government never discriminates against the workers. The Government, of course, does di*- . criminate in favour of the workers; and I am sure the House will not obiect to that discrimi- *4* nation at all. *(Interruptions)*

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सब लोगों को काम पर रख दिया जायेगा या नहीं ?

डा० भाई महावीर : कब तक रख लेंगे सब को यह तो कह दीजिये ।

SHRI CHARANJIT CHANANA: Well, I have said that it is in the process of operation and the absorption will continue. I have alreadv said it in my statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If you take notice of all the interruptions, there will be no end to it. *(Interruptions)* You have sought clarifications, vou have sought an assurance and he has given an as-

surance as best as he could. You cannot expect anything more.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I have said that one part of the process would be in operation by the end of this year. I have already said that. I draw your kind attention to my statement. I have already talked about the dates. Now I am glad that the hon. Members are worried about the workers on health grounds and their superannuation. We *a* doing all that. The object is that we generate economic viability in the u\it. The split plant system of the clinker being brought here, in fact, should be appreciated because the kilns cannot immediately be put into operation. Till that time, clinker will have to be imported from Neemuch and other areas. Today we are doing it from Neemuch. The split plant system has been accepted in principle in the case of cement because this area in fact does not have a cement plant except one small one in Surajpur in Haryana.

The hon. Member has-mentioned about Shri Gupta. I only wish to inform the hon. Member that he was taken as a technical adviser on a fixed time basis and his services will only be up to that time and his advice will be made use of only till that time.

Shri Kalpnath Rai talked about capacity utilization. In 1978-79, in the Cement Corporation of India the capacity utilzation was 72 per cent, in 1979-80, it went up . to 75 per cent and now it has gone up to 81 per cent. Our object in fact is to promote optimum capacity utilization. Now that diflfei:? in the case of the wet process and the dry process. In the dry process the capacity -utilizatton can cross even 100 per cent. The Government is promoting the moderniation of the cement indus-ih try so that the capacity utilization is optimum.

Now the other points made by the hon. Members are about the sick industry. We would definitely keep into consideration the valuable and positive suggestions made by them during the course of the discussion. In view of this, I am sure, the Bill would get full support from the hon. Members.

I request that the BiU may be passed.

THE VICE-CHAIRMAN ('SHRI DINESH GOSWAMI): I shall furst put the Resolution to vote, The question is:

"That this House disapproves the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1981 (No. 6 of 1981) promulgated by the President on the 23rd June, 1981." *The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall put the motion of Shri Chanana to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the Dalmia Dadri Cement Limited with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interest of the general public by ensuring the continued manufacture, production and distribution of cement which is essential to the needs of the economy of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The wotiin was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI) We shall take up clause-by-clause consideration. Mr. Minister, before I take up clause-by-clause consideration, will you give some indication on what time we are taking up the Calling Attention?

THE MnsnSTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI

SITA RAM KESARI): At four o'clock.

Clause 2 *{Definitions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall take up clause 2. There is one amendment. Mr. S. Kumaran.

SHRI S KUMARAN: Sir, I move:

2. "That at page 2, line 15, for the figures and words '23rd day of June, 1981', the figures and words '18th day of March, 1980' be substituted."

(The *amendment also stood in the name of Shn M. Kalyanasun*-daram.)

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That clause 2 stand part of **the** Bill,"

The motion was adopted.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Causes 3 to 6 were added to the Bill

Clause 7 *(Payment of amount)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall take up clause 7. There are two amendments.

SHRI S. KUMARAN: Sir, I move:

3. "That at page 5, line 24, for the words 'eigthy-four lakhs' the words 'four crores, fifty lakhs' be substituted."

(The amendment also stood m the name of *Shri M. Kaltfanasun-daram)*

SHRI SHIVA CHANDRA JHA; Sir, I move:

4. "That at page 5, lines 24 and 25, for the words 'rupees eighty-four lakhs and eighty-seven thousand' the words 'rupees eighty-four and eighty-seven paise' be substituted."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Do you want to speak on this? ;

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please be brief.

श्री शिव चन्द्र झा : यह मेरा संशोधन कम्पनसेशन के मुताल्लिक है । आप 84 लाख 87 हजार रुपये कम्पनसेशन दे रहे हैं फिर उसके साथ-साथ रेट आफ इंट्रेस्ट भी 4% दे रहे हैं, इसके संबंध में मेरा संशोधन है। जो भी दलीलें उन्होंने दी हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा अपने भाषण में कि कम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है । आपने उनको बहुत कुछ दिया माडर्नाइजेशन के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर, ऐड के नाम पर, लोन के नाम पर लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ । नतीजा यह हुआ कि स्थिति आ गई कि आप उसको ले रहे हैं, टेक-ओवर कर रहे हैं। जो लाश के रूप में है, शव के रूप में है उसको जिन्दा करने के लिए कर रहे हैं। जो पहले वाला मालिक था उसको आप टोकन कम्पनसेशन कुछ न कुछ दे सकते हैं मैं मानता हूं यदि आप उनको कुछ नहीं दें तो झमेला होगा इसीलिए मेरा संशोधन है कि जहां आप 84 लाख 87 हजार देने जा रहे हैं उसकी जगह आप कर दें 84 रुपये और 87 पैसे... **(व्यवधान)**

श्री चरणजीत चानना : यह वर्करस का कम्पनसेशन है भाई... **(व्यवधान)**

श्री शिव चन्द्र झा : तो यह आपका नार्मल टोकन हो जाएगा। यह आप उनको

दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। जहां आप रेट आफ इंट्रेस्ट 4% देते हैं वह भी बहुत ज्यादा है । इसको आप 1% कर दीजिये । कम्पनसेशन देने की यह बुनियादी नीति है। इसमें कम्पनसेशन देने की क्या बात है ? इसलिए मेरा संशोधन जो है इसको आप मान लें तथा कम्पनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है ।। बाकी आपके बिल का मैं पूरा समर्थन कर दंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I put these amendments to vote.

The question is:

3. "That at page 5, line 24, for the words 'eighty-four lakhs' the words 'four crores, fifty lakhs' be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is;

4. "That at page 5 lines 24 and 25, for the words 'rupees eighty-four lakhs and eighty-seven thousand' the words 'rupees eighty-four and eighty-seven paise' be substituted."

I think noes have it.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Ayes have it. iqiq^pt *m^* ftTT *m^^*

कहा था जब डिवीजन कराना हो तो फार्मल तरीके से डिवीजन कराया जाए । अब आप डिवीजन करा दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Those members who are in favour of this amendment, will you kindly rise in your seats? *(Interruptions)* Mr. Jha, are you still asking for a division on this? I shall put the question again.

The question is

4. "That at page 5, lines 24 and 25, for the words 'rupees eighty-four lakhs and eighty-seven thousand' the words 'rupees eighty-four and eighty-seven, paise' be substituted."

The motion was negatived. ■

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adapted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 *(paym^ent of further amount)*

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir. I move:

5. "That at page 5, line 27, for the words ' four per cent' the words 'one per cent' be substi tuted."

SHRI S. KUMARAN: Sir, I move:

6. "That at page 5, after line 32, the following be inserted, namely:—

"(2A) The amoimt determined by the Commissioner, to be paid as dues to the employees of the Company and its undertakings as on 23rd June, 1981, shall be paid by the Central Government on behalf of the Company out of the amount specified in section7'."

(The amendment also stood in the name of Shri M. Kalyanasundaram)

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

5. "That at page 5, line 27, for the words 'four per cent' the words 'one per cent' be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

0. "That at page 5, after line 32, the following be inserted,
namely:—

'(2A) The amount determined by the Commissioner, to be paid as dues to the employees of the Company and its undertakings as on 23rd June, 1981, shall be paid by the Central Government on behalf of the Company out of the amount specified in section
nl J)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That clause 8 stand part of the BiU.

The motion was adopted. - ^ Clause 8 *was added to the Bill.*

Clauses 9 *to'* 11 *were added to ---: the Bill.*

Clause 12 *{Employment of certain employees to continue)*

SHRI S. KUMARAN: Sir, I move:

7. "That at page 6, for lines 41 to 44, the following be substituted, namely:—

12.(1) Every person who was an employee on 18th March, 1980 immediately before the closure of the company, in any of the undertaking of the company shall become,—

(a) on and from 18th March, 1980, immediately before the day of closure of the company, an employee of the Central Government Cement Corporation of India Limited'."

(The amendment also stood in the name of Shri M. Kalyanasun-daram)

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now. the question is:

"That clause 12 stand part of the BiU."

The motion was adopted.

Clause 12 *was added to the Bill.*

Clauses 13 to 32 <and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1 *(Short title and commencement)*

SHRI S. KUMARAN: Sir, I move:

1. "That at page 2, Hines 12 and 13, for the figures and words '23rd day of June, 1981' the figures and words '18th day of March, 1980' be substituted."

[The amendment *aUo stood in the name of Shri M. Kalyanasundaraml*

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, the question is;

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 *was added to the Bill.*

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI CHARANJIT CHANDRA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें

केवल सरकार से इस अंतिम क्षण में तृतीय वाचन में यह कहना है कि सरकार जहां इस अधिग्रहण के प्रस्ताव को लाती है वहां सरकार का मजदूरों के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। एक तरफ सरकार अधिग्रहण करती है और मजदूरों के मामले पर सदन में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देती है तो इससे स्पष्ट है कि यह सरकार अब पूंजीपतियों के समर्थन में जाती है और मजदूर विरोधी ज्यादा लगती है इस बिल के मारफत से। और, दूसरी बात की ओर मैं यहां सदन का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय कि जैसे माननीय झा जी ने कहा कि एक तरफ जब कारखाने बीमार पड़ गए तो उन बीमार कारखानों के उद्योगपतियों को 84 लाख रुपये देते हैं और दूसरी तरफ उस कारखाने में जो जमीन किसानों की ली जाती है उन किसानों की अच्छी और उपजाऊ जमीन जो रहती है उसको आप सस्ती दर पर लेकर कारखाने वालों को देते हैं। तो हमारी अच्छी जमीन कारखाने वालों को कम से कम रेट पर दें और करखाना जब बीमार हो, रोगी हो तो बीमार को ज्यादा पैसा देकर ले लेते हैं। अतः यहां पर भी सरकार की दो दृष्टियां लगती हैं और आखिरी बात सरकार से यह कहनी है कि सरकार अधिग्रहण करती है और उसमें सरकार की जो राष्ट्रीयकरण करने की नीति है उस मामले में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार को उस मामले पर भी चाहिए कि...

राष्ट्रीयकरण के मामले पर इस सदन में बहस करवा करके और तमाम लोगों की राय लेकर राष्ट्रीयकरण के मामले पर एक राष्ट्रीय नीति बने जिससे सब लोग सहमत हों जिससे कि सरकारी संस्थान घाटे में न चलें। सरकारी संस्थान का यह है कि हमारे बिहार में कहावत है कि किसी आदमी ने एक किलो रूई धुनने के लिये दिया था और जब हिसाब मांगने गया उस रूई धुनने वाले से, तो उसने कहा कि —

एक चौथाई उडन-पुड़न, एक चौथाईकम।
एक-चौथाई सूत-लपेटन, एक चौथाई हम।
सोलह आने खत्म। आपकी जो सरकारी संस्थान हैं, उसका यह चलता है कि एक-चौथाई उड़न-पुड़न, एक चौथाई चदा, एक-चौथाई उद्योगपति और एक-चौथाई सरकार। हम, और इसमें सोलह आने खत्म हो गया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That the BiH be passed."

The motion was adopted,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, what shall We do? Do we take up the next item, the consideration of the Plantations Labour (Amendment) Bill or do we take up Calling Attention? I would Uke to know from the Minister of Parliamentary Affairs.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIA. MENTARY AFFAIRS (SHRI SITA RAM KESRI): The Finance Minister is expected at any moment. हम आपसे कह दें कि ज्योंही यहां खत्म होगा..

SHRI ERA SEZHIYAN: Sir, my plea is this. Only five Members were there on the Calling Attention in the Lok Sabha and they

[Shri Era Sezhiyan]

have taken from 12 noon to 4 p.m. And there are 12 Members to participate here on this. I would like to know how long we are going to sit.

श्री जगन्नाथराव जोशी (दिल्ली) : केबिनेट स्तर के मंत्री यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ।

SHRI SITA RAM KESRI: In a few minutes, the Finance Minister is expected here.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)
..1981-82.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, the Supplementary Demands for Grants.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): मेरा पवाइंट आफ आर्डर है .... (व्यवधान) लिखित दिया है .... कालिंग अटेन्शन पर बोल रहे हैं ना ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आप हर बात पर प्वाइंट आफ आर्डर लेकर खड़े हो जाते हैं। आज आप होश में नहीं हैं (व्यवधान) .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): He has to lav a statement on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary De-mads for Grants (General) for the year 1981-82 (September, 1981).

THE PLANTATIONS LABOUR (AMENDMENT) BILL;1973.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): So far as the Calling Attention is concerned, I think, we shall have to wait **for** some time because the Minister is not free. As regards how long we will sit and other things, the hon. Deputy Chairman will come and take the Chair he will decide when it is taken up. Till that time, we will take up the next item, the Plantations Labour (Amendment) Bill. 1973.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I beg to move—

"That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration."

Sir. the Plantations Labour Act, 1981, provides for the welfare of labour and regulates the conditions of work in the plantations. The Act deals with health and welfare; hours of work, rest intervals etc.; employment of children and young persons, and leave—with wages.

Sir, the Plantations *J^ahonr* (Amendment) Bill, 1973 was introduced in Rajya Sabha in 1973. The Bill was referred to the Joint Select Committee of Parliament. The Committee submitted its recommendations on 3rd March, 1975.

Sir, the main objectives of the Amendment Bill are to extendthe benefits of the welfare provisions to a larger number of workers, to provide for compulsory registration of plantations, and reduction of weekly hours of work for adults and children. The Bill also seeka to provide for the first time compensation payable in the case of death or injury to a worker or a member of his family as a result of the collapse of the house provided to him by the employer.

Sir, the existing 1951 Act apnlies to tea, coflfe, rubber and cinchona